



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-02082024-256002
CG-DL-E-02082024-256002

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2931]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अगस्त 1, 2024/श्रावण 10, 1946

No. 2931]

NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 1, 2024/SHRAVANA 10, 1946

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 जुलाई, 2024

का.आ. 3072(अ).—केन्द्रीय सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि पंजाब राज्य में जालंधर - गोइंदवाल साहिब पाईपलाइन (जे.जी.पी. एल.) के माध्यम से एल. पी. जी. गैस के परिवहन के लिए इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा एक पाईपलाइन बिछाई जानी चाहिए;

और केन्द्रीय सरकार को उक्त पाईपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें उक्त पाईपलाइन बिछाए जाने का प्रस्ताव है और जो इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, पेट्रोलियम और खनिज पाईपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उस भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है;

कोई व्यक्ति, जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत के राजपत्र में यथा प्रकाशित इस अधिसूचना की प्रतियों साधारण जनता को उपलब्ध कर दी जाती है, 21 दिन के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाइन बिछाए जाने की संबंध में, सक्षम प्राधिकारी, जालंधर - गोइंदवाल साहिब एल. पी. जी. पाईपलाइन परियोजना, इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड, उत्तरी क्षेत्र पाईपलाइन्स, सुन्नी पिंड जी.टी. रोड जालंधर-144009 को लिखित रूप में आक्षेप भेज सकेगा।

अनुसूची								
तहसील : जालंधर-1			जिला :जालंधर		राज्य : पंजाब			
क्र. स.	हदबस्त न०	गाँव का नाम	मुसतील न.	किल्लान. / सर्वे न.	क्षेत्रफल			
					हे.	एअर	वर्ग.मीटर	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	228	कुक्कर पिंड	77	2	00	01	70	
				9	00	01	15	
				10/1	00	02	19	
				10/2	00	02	75	
				11/2	00	01	38	
				11/1	00	00	35	
				119	00	00	62	
				11/4	00	01	48	
				76	15	00	02	27
2	240	रायपुर	2	9	00	03	64	
				10/1	00	00	65	
				10/3	00	00	69	
				11	00	06	14	
				20	00	01	20	
				3	16	00	04	94
				25	00	03	37	
				178	00	01	37	
				26	00	01	08	
				24/2	00	00	27	
				6	4	00	06	04
				3/2	00	00	10	
				7	00	00	25	
				8	00	05	89	
				13	00	02	60	
				12	00	04	05	
				19/1	00	00	38	
				19/2	00	03	09	
				20/1	00	02	26	
				186	00	00	38	
				20/2	00	00	75	
				64	00	00	72	
				21/1	00	00	13	
21/2	00	03	10					

	65	00	00	56
5	25	00	02	40
15	5/2	00	02	49
	5/1	00	02	26
	4	00	02	15
	7	00	05	02
	8	00	02	43
	13/2	00	03	38
	13/1	00	01	12
	12/2	00	04	63
	189	00	00	86
	20/1	00	02	31
	191	00	00	33
	20/2	00	00	10
	20/3	00	03	23
16	16	00	02	58
	25	00	05	17
	63	00	00	28
	194	00	00	28
19	5/1	00	03	06
	4	00	01	79
	7/1	00	03	32
	7/2	00	01	85
	208	00	00	30
	14	00	04	10
	13	00	01	42
	18	00	06	20
	23	00	01	19
	22	00	05	01
31	2	00	02	51
	1/2	00	04	98
	1/1	00	00	88
32	5	00	03	34
	6/1	00	02	46
	227	00	00	36
	6/2	00	00	07
	7	00	05	08

	14	00	04	14
	13	00	00	99
	17	00	00	01
	18	00	05	08
	23	00	05	08
	211	00	00	28
35	3	00	04	79
	2	00	00	03
	8/2	00	00	86
	9	00	04	23
	12	00	05	08
	19	00	05	08
	22	00	02	25
	21	00	00	15

[फा. सं. आर-11025/1/2024-ओआर-1/ई-48970]

शशि शेखर सिंह, अवर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 30th July, 2024

S.O. 3072(E).—Whereas it appears to Government of India that it is necessary in public interest that for transportation of LPG gas through Jalandhar-Goindwal Sahib Pipeline (JGPL) in the State of Punjab, a pipeline should be laid by Indian Oil Corporation Limited;

And, whereas it appears to Government of India that for the purpose of laying the said pipeline, it is necessary to acquire the Right of User in the land under which the said pipeline is proposed to be laid and which is described in the Schedule annexed to this notification;

Now, therefore, in exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962, (50 of 1962) Government of India hereby declares its intention to acquire the Right of User therein;

Any person interested in the land described in the said Schedule may, within twenty one days from the date of which the copies of the notification issued under sub-section (1) of Section 3 of the said Act, as published in the Gazette of India are made available to the general public, object in writing to the acquisition of the right of User therein for laying of the pipeline under the land to Competent Authority, Jalandhar-Goindwal Sahib LPG Pipeline Project, Indian Oil Corporation Limited, Northern Region Pipelines, Suchi Pind, GT Road Jalandhar-144009.

Schedule							
Tehsil : Jalandhar-1		District : Jalandhar			State : Punjab		
SL. No.	Hadbast No.	Name of Village	Mustil No.	Killa /Survey No.	Area		
					Hectare	Are	Sq. meter
1	2	3	4	5	6	7	8
1	228	Kukkar pind	77	2	00	01	70
				9	00	01	15
				10/1	00	02	19
				10/2	00	02	75
				11/2	00	01	38
				11/1	00	00	35
				119	00	00	62

				11/4	00	01	48
			76	15	00	02	27
2	240	Raipur	2	9	00	03	64
				10/1	00	00	65
				10/3	00	00	69
				11	00	06	14
				20	00	01	20
			3	16	00	04	94
				25	00	03	37
				178	00	01	37
				26	00	01	08
				24/2	00	00	27
			6	4	00	06	04
				3/2	00	00	10
				7	00	00	25
				8	00	05	89
				13	00	02	60
				12	00	04	05
				19/1	00	00	38
				19/2	00	03	09
				20/1	00	02	26
				186	00	00	38
				20/2	00	00	75
				64	00	00	72
				21/1	00	00	13
				21/2	00	03	10
				65	00	00	56
			5	25	00	02	40
			15	5/2	00	02	49
				5/1	00	02	26
				4	00	02	15
				7	00	05	02
				8	00	02	43
				13/2	00	03	38
				13/1	00	01	12
				12/2	00	04	63
				189	00	00	86
				20/1	00	02	31
				191	00	00	33
				20/2	00	00	10
				20/3	00	03	23
			16	16	00	02	58
				25	00	05	17
				63	00	00	28

	194	00	00	28
19	5/1	00	03	06
	4	00	01	79
	7/1	00	03	32
	7/2	00	01	85
	208	00	00	30
	14	00	04	10
	13	00	01	42
	18	00	06	20
	23	00	01	19
	22	00	05	01
31	2	00	02	51
	1/2	00	04	98
	1/1	00	00	88
32	5	00	03	34
	6/1	00	02	46
	227	00	00	36
	6/2	00	00	07
	7	00	05	08
	14	00	04	14
	13	00	00	99
	17	00	00	01
	18	00	05	08
	23	00	05	08
	211	00	00	28
35	3	00	04	79
	2	00	00	03
	8/2	00	00	86
	9	00	04	23
	12	00	05	08
	19	00	05	08
	22	00	02	25
	21	00	00	15

[F. No. R-11025/1/2024-OR-I/E-48970]
SHASHI SHEKHAR SINGH, Under Secy.